मानन्नीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–भिण्ड अपील/4032–I–15

ओमप्रकाश पुत्र श्री बैजनाथ ब्राह्मण,
निवासी– ग्राम झांकरी, परगना गोहद,
जिला–भिण्ड (म.प्र.)

-- अपीलार्थी

विरूद्ध

1. पुरूषोत्तम सिंह पुत्र श्री अमरसिंह गुर्जर, निवासी– ग्राम इटायंदा, परगना गोहद, जिला–भिण्ड (म.प्र.)
2. रामऔतार पुत्र श्री हरनारायण,
3. रामप्रकाश पुत्र श्री हरनारायण,
4. रघुराज पुत्र श्री छुटकन,
5. सतीश पुत्र श्री छुटकन,
6. धीरेन्द्र पुत्र श्री छुटकन,
7. गिर्राज पुत्र श्री वासुदेव,
8. सुरेश पुत्र श्री वासुदेव,
9. विनोद पुत्र श्री वासुदेव,

निवासीगण ग्राम मकरेटा, तहसील गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)

-- प्रत्यर्थीगण

दिनांक 17-12-15 को श्री ... चतुर्वेदी अधि० द्वारा प्रस्तुत। 17-12-15

17/12/15

न्यायालय माननीय अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 18/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 10.12.2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 44(2) के अधीन द्वितीय अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से यह अपील निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य :</u>

1. यहकि, ग्राम झांकरी, तहसील गोहद में स्थित आराजी नं. 47, 51, 58, 81 एवं ग्राम नीरपुरा में स्थित आराजी नं. 159, 160, 298 के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी क्रमांक 1 पुरूषोत्तम द्वारा संहिता की धारा 110 के अन्तर्गत एक आवेदन–पत्र नायब तहसीलदार वृत्त देहगांव के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत किया कि भूमि स्वामी भागीरथ द्वारा विश्राम को विक्रय किया गया है, किन्तु विश्राम का

139

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4032 – एक/15 **जिला** –भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभ आदि के हस्ताक्षर
18.12.15	आवेदक के अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित । उन्हें प्रकरण की ग्राह्यता एवं स्थगन के बिन्दु पर सुना गया । प्रकरण का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा यह निगरानी पूर्व में प्रस्तुत की गई थी। जिसे प्रशासकीय सदस्य द्वारा प्रकरण कमांक निगरानी 4126–एक/13 में पारित आदेश दिनांक 6.2.14 से उक्त निगरानी का निराकरण करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया, किन्तु आवेदक द्वारा पुनः निगरानी प्रकरण कमांक 3215–एक/15 प्रस्तुत की गई , जिसे मेरे द्वारा आदेश दिनांक 20.10.15 से आवेदक की निगरानी खारिज कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी मेंहगांव को प्रत्यावर्तित कर प्रकरण का निराकरण 30 दिवस में करने का निर्देश दिया गया। 2– आवेदक द्वारा पुनः राजस्व मण्डल के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, राजस्व मण्डल द्वारा पूर्व में पारित आदेश रेसजूडिकेटा का रूप लिये हुये है । आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी में अनावेदक कमांक–1 हितवद्ध पक्षकार है। अन्य अनावेदक इस प्रकरण में हित नहीं रखते हैं। इस कारण यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे। सदस्य	